218

वित्तीय स्वीकृति / आयोजनागत / आयोजनेत्तर
संख्या– 758 / XVII-4 / 2014–10(43)2014

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–04 देहरादून दिनांक 20 जून, 2014

विषय–अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओं अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति (शतप्रतिशत के0 पो0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:–318 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 18.03.2014 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक 2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277–शिक्षा, 01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, 01–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित) योजनान्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आयोजनागत मद में ₹ 2161.73 लाख तथा आयोजनेत्तर मद में ₹1705.00 लाख सहित समेकित रूप में कुल ₹ 3866.73 लाख (रूपये अड़तीस करोड़ छयासठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न एलोटमेंट आई0डी संख्या–S1406300118 दिनांक 18.06.2014 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:–318 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या–80 / अ.मु.स. / पी.ए. / 2014–15 दिनांक 23.04.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत गठित शुल्क नियामक समिति द्वारा तय किये गये शुल्क की ही प्रतिपूर्ति की जायेगी।
3. भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार धनराशि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते (Bank Account) में स्थानान्तरित किया जायेगा।
4. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
5. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

7. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से **अनुदान संख्या–30 तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर** शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

11. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014 15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 30 के लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 227–शिक्षा, 01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, 01–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित) के मानक मद–21–छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन के नामे डाला जाएगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–498 (P/NP)/XXVII(1)/2014–15 दिनांक 17.06.2014 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्याः –758 (1)/XVII-1/2014–10(43)2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 758 XVII-4/14-10(43)/2014

अलोटमेंट आई डी - S1406300118

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -18-Jun-2014

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

1: लेखा शीर्षक 2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अ
277 - शिक्षा
01 - अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0	170500000	170500000
	0	**170500000**	**170500000**

2: लेखा शीर्षक 2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अ
277 - शिक्षा
01 - अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0	216173000	216173000
	0	**216173000**	**216173000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 386673000